

**मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण**  
(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)  
(म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन पंजीकृत संस्था : पंजीयन क्रमांक 8746/2000)  
खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र. : 20259/22/वि-12/ग्रा.स.वि.प्रा./टी-1/692 (SSR)/17,

भोपाल दि. 05/9/2017


**CORRIGENDUM-2**

(SSR w.e.f.01.09.2017)

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल के आदेश क्र 20061-20062 दिनांक 01.09.2017 द्वारा जारी SSR प्रभावी दिनांक 01.09.2017 के अध्याय 5 एवं 10 के आयटम क्रमांक 5.20, 5.21 एवं 10.17 में आंशिक टंकण त्रुटि के फलस्वरूप निम्नानुसार मानते हुए पढ़ा जावे -


1. अध्याय क्रमांक 5 के आयटम क्रमांक 5.20 की Unit Cum के स्थान पर Sqm पढ़ा जावे।
2. अध्याय क्रमांक 5 के आयटम क्रमांक 5.21 की Unit Cum के स्थान पर Sqm पढ़ा जावे।
3. अध्याय क्रमांक 10 के आयटम क्रमांक 10.17 की Unit Sqm के स्थान पर each पढ़ा जावे।

उपरोक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

  
( एम. के. गुप्ता ) 5/9/17  
प्रमुख अभियंता  
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण  
भोपाल (म.प्र.)

पृ.क्र. : 20259(A) /22/वि-12/ग्रा.स.वि.प्रा./टी-1/414(SSR)/17, भोपाल दि. : 05/9/2017  
प्रतिलिपि -

1. निर्देशक (तक), एनआरआरडीए, पंचम तल, एनबीसीसी टॉवर, भकाजी कॉमा प्लेस, नई दिल्ली
2. मुख्य महाप्रबंधक (समस्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ।
3. मुख्य महाप्रबंधक (वित्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल ।
4. वित्तीय सलाहकार, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल ।
5. STA, MANIT Bhopal, Govt. Engg. College Jabalpur, GSITS Indore & MITS Gwalior को सूचनार्थ ।
6. महाप्रबंधक-तक, (समस्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ।
7. महाप्रबंधक (समस्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण पीआईयू ..... को सूचनार्थ ।
8. प्रबंधक आईटी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण मुख्यालय भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि संशोधित पत्र को [www.mprda.com](http://www.mprda.com) वेबसाइट पर अपलोड करें।

  
प्रमुख अभियंता 5/9/17  
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण  
भोपाल (म.प्र.)